न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 273 सन् 2012

पंजीयन दिनांक 07.08.2012

जगदीश चन्द्र पिता मदनलाल मुतबन्ना प्रभुलाल जाति सेवक निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. संतोषीबाई बेवा प्रभुलाल जाति सेवक निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी एवं उप-पंजीयक राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
3. ऊंकारलाल पिता भागीरथ जाति गाडरी निवासी आटुन तहसील व जिला भीलवाडा
4. लक्ष्मण पिता भागीरथ जाति गाडरी निवासी आटुन तहसील व जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
निर्णय व आदेश न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी
प्रकरण संख्या 379/2010 राजस्व वाद निर्णय व आदेश दिनांक 09.07.2012

उपस्थित– 1. चंदनमल जणवा–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. के.जी. झंवर–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
4. रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 04.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात मोजा भालोटा की खेडी तहसील राशमी की आराजी नम्बर 2175,2176,2177 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र हस्तान्तरित की। वादपत्र मे हस्तान्तरण के पूर्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2011 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात् उक्त कृषि आराजीयात दोराने वाद रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 को हस्तान्तरित की। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 द्वारा बिना जवाबदावा प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी के तहत प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत करने का अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण द्वारा विवादित कृषि आराजीयात दोराने वाद क्रय करने का तथ्य प्रमाणित है। उक्त हस्तान्तरण धारा 52 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 से प्रभावित होता है इससे दोराने वाद रेस्पोडेन्टगण

प्रतिवादीगण के सफल होने पर विक्रय वैध माना जा सकता है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण का अधिकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा वादपत्र को अपने हक मे निर्णित कराने के पश्चात् ही प्राप्त होता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाने का आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 09.07.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया कि मोजा भालोटा की खेडी तहसील राशमी की आराजी नम्बर 2175,2176,2177 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड रही। वादपत्र मे यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पति प्रभुलाल द्वारा अपीलान्ट वादी को गोद रखा था। अपीलान्ट वादी गोद पुत्र की हैसियत से अपने हिस्से की कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी उक्त कृषि आराजीयात प्रभुलाल की विरासत से रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के नाम पर दर्ज हो जाने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत बहनामा हस्तान्तरित की है, जबकि अपीलान्ट वादी स्वर्गीय प्रभुलाल का गोदपुत्र होने से विवादित कृषि आराजीयात मे 1/2 हक व हिस्से की घोषणा कराये जाने का अधिकारी था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की ओर से पूर्व मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.03.2011 से अस्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण को पुनः नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात पूर्व मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया के पति प्रभुलाल के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रभुलाल के स्वर्गवास होने पर जरिये विरासती नामान्तकरण उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया के नाम विरासत से दर्ज रेकार्ड हुई है जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी वैध आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 08.03.2011 को रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है, जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

अपीलान्ट वादी अपने आप को स्वर्गीय प्रभुलाल का गोदपुत्र होना बताता है। वादपत्र मे गोद के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति मे गोदपुत्र घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने से निरस्त किया जावे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने मोजा भालोटा की खेडी तहसील राशमी की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 2175,2176,2177 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा कृषि आराजीयात जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया के जरिये विरासत दर्ज रेकार्ड रही है। अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपने आप को प्रभुलाल का गोदपुत्र होना बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया ने उक्त कृषि आराजीयात जरिये पंजीकृत बहनामा रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट वादी के पक्ष मे गोद के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज होना पत्रावली मे नही पाया जाता है। पंजीकृत बहनामा जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण के पक्ष मे पंजीकृत करवाया है। गोदपुत्र की घोषणा का वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। पंजीकृत बहनामे को निरस्त करने का अधिकार भी राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होना मानते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर वादपत्र को निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी के प्रकरण संख्या 379/2010 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 09.07.2012 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 273/2012 /डिक्री

श्री जगदीशचन्द्र पिता मदनलाल मुतबन्ना प्रभूलाल जाति सेवक निवासी भालोया की खेड़ी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़। बनाम

(1) श्री संतोषीबाई बेवा प्रभूलाल जाति सेवक निवासी भालोया की खेड़ी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(2) भूमिधारी एवं उपपंजीयक राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(3) ऊंकारलाल पिता भागीरथ जाति गाडरी निवासी आकुन तहसील व जिला भीलवाड़ा।
(4) लक्ष्मण पिता भागीरथ जाति गाडरी निवासी आकुन तहसील व जिला भीलवाड़ा।

-अपीलान्ट -रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राशमी प्रकरण सं. 379/2010 अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अ. 1955 दि. 09-07-2012 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 04-1-2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चंदनमल जनवा रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री के.जी. झंवर - रेस्पो. सं. 1, पूरणमल स्वर्णकार - राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 2, (4) रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनु. की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि - अपील अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी के प्रकरण संख्या 379/2010 रेवेन्यू वाद में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 09-07-2012 यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ......-...... रुपये हैं, ...-...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ......-...... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 04-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 04-01-2023 अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	